International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 02(II), April - June, 2024, pp. 245-247

बीसवीं सदी में बीकानेर राज्य में राजनैतिक चेतना का विकास

डॉ. महेन्द्र पुरोहित*

सार

उन्नीसवीं व बीसवीं सदी के मध्य का कालखण्ड भारत की अंग्रेजी सत्ता से स्वाधीनता की चेतना, स्वाधीनता संघर्ष एवं स्वाधीनता प्राप्त कर एक देश के रूप में विकसित होने की ओर अग्रसर होने का कालखण्ड है। इस समय में सम्पूर्ण देश में चल रही बयार से हमारा बीकानेर भी अछुता नहीं रहा। इस छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध नगर ने भारत की स्वतंत्रता में महती भूमिका निभाई और यहाँ के देश स्वातंत्र्य के दिवानों ने भी अपना योगदान दिया।

शब्दकोश: *स्वाधीनता की चेतना, स्वाधीनता संघर्ष, राजनैतिक चेतना, निषेध आन्दोलन।*

प्रस्तावना

बीकानेर में राजनैतिक चेतना विकासित होने के कारक

बीकानेर का रियासती राज्य, 1857ई. की असफल क्रांति की छाया में अंग्रेजों व राजाओं के शासन में देश भर में चल रही आंदोलनात्कम गतिविधियों का मूक गवाह बना रहा। परन्तु यहाँ की प्रबुद्ध जनता का विवेक 1905 के बंग भंग के फलस्वरूप हुए आन्दोलनों, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग निषेध आन्दोलन, आर्य समाज की हिन्दू धर्म सुधार आन्दोलनों के साथ भारतीय राजनीतिक आन्दोलन के उग्र नेताओं के जन चेतना कारक भाषणों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका।

विदित रहे राजनैतिक शोषण, अत्याचार एवं देशी राज्यों के आन्तरिक मामलों को प्रकाश में लाने के साधन पत्र–पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, हैण्ड बिल, पैम्फलेट इत्यादि ही थे ब्रिटिश भारत के राजपूताना के रेजीडेन्सी मुख्यालय अजमेर में जन अभिव्यक्ति की तार्किक स्वतंत्रता होने के कारण राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, त्यागभूमि आदि समाचार पत्रों सहित अनेकानेक कागजातों का प्रकाशन भी होता था। ये समाचार पत्र चोरी छिपे बीकानेर में भी आते थे और जन मानस में राजनीतिक मामलों के साथ देशी एवं अंग्रेजी हुकुमतों के अत्याचारों, क्रिया कलापों पर वैचारिक मंथन होना प्रारम्भ हो गया। इस कारण से यहाँ का जन मानस उद्वेलित हो कर जन जागृति की राह पर चल पड़ा।[1]

24 अक्टूबर 1921 को सेठ जमनालाल बजाज जब रतनगढ़ के ब्रह्मचर्य आश्रम में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जब चांदकरण सारदा एवं पं गौरीशंकर भार्गव के साथ रतनगढ़ पहुँचे तो बीकानेर की तत्कालीन सरकार ने उन्हें गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरने दिया अपितु पुलिस जाब्ते के साथ हिसार जाने के लिए

---

* सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

मजबूर किया गया।[2] इस घटना ने बीकानेर में राजनैतिक चेतना के विकास में दमनकारी शासन नीति के विरुद्ध आवाज को बुलंद करने के लिए लोगों को अत्यधिक प्रेरणा प्रदान की।

बीकानेर में राजनैतिक चेतना का विकास

राजपूताना का अजमेर क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ आर्य समाज की विभिन्न धर्म एवं समाज सुधार की गतिविधियों का केन्द्र था। वहाँ के क्रांतिकारी नेताओं के साथ समाज सुधारक आर्य समाजी भी बीकानेर की रियासती जनता के निरन्तर सम्पर्क में थे। जिनमें क्रमशः अर्जुन लाल सेठी एवं चांदकरण सारदा प्रमुख थे। इनके प्रभाव से बीकानेर में आर्यसमाज की गतिविधियों में बेतहाशा वृद्धि हुई, फलस्वरूप 1907 में एक बंगाली संन्यासी स्वामी भौमानन्द के आह्वान पर चुरू में आर्य समाजी पं. कन्हैंया लाल ढण्ढ़ के नेतृत्व में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की गई।[3] बीकानेर में तत्समय महाराजा गंगासिंह का निरंकुश शासन था। वह शासन सत्ता का हितैषी एवं प्रजा के लिए दमन का प्रतीक था। उस सुदीर्घ शासन काल में जनमत निर्मित नहीं हो सका व सार्वजनिक संस्थाओं को तो पनपन का ही अवसर प्राप्त नहीं होता था। कठोर नियंत्रण की प्रतिछाया में सार्वजनिक संस्थाएँ अपने आँसूओं में डूबी ही प्रतीत होती थी।[4]

1909 में लार्ड मिन्टों के आग्रह पर बीकानेर में भी द इन्डियन स्टेट्स (प्रोटेक्शन अगेस्ट डिसअफेक्शन) एक्ट लागू कर दिया गया। जिसमें ब्रिटिश भारत के देशी राज्यों में देशी या केन्द्रीय सत्ता के विरुद्ध साहित्यिक प्रचार प्रसार[5] पर रोक थी।[6] इधर सर्व हितकारिणी सभा की देश भक्ति क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने के लिए इसी एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही हुई और 4 दिसम्बर, 1914 को छापे की कार्यवाही कर फाइल खोल दी गई और नारायण दत्त शर्मा नामक एक सरकारी कर्मचारी को आर्य समाज के मंत्री का कार्य करने के दण्ड स्वरूप अक्टूबर, 1924 को देश निकाला जैसी कठोर सजा भी भुगतनी पड़ी।[7] परन्तु सारदा जी ने अपनी गतिविधियों को चालू रखा और 16/12/1918 को दिल्ली में आयोज्य अधिवेशन में मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ देशी राज्यों में प्रजा जनों की स्थिति एवं सभा की आगामी कार्य योजना के निर्धारण के लिए राजपूताना–मध्य भारतसभा के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी गोपालदास[8] को अधिकृति का पत्र भी भेजा।[9]

ब्रिटिश भारत में प्रवासी मारवाड़ी व्यापारियों के आर्थिक सहयोग से सन् 1918–19 में ही दिल्ली में मारवाड़ी हितकारिणी और राजपूताना मध्यभारत सभा की भी स्थापना की गई। इन व्यापारियों ने देशी राज्यों में समाज सुधार छुआछूत उन्मूलन व हरिजनों हेतु पाठशाला आदि खोलने में अपनी महत्ती भूमिका निभाई। मारवाड़ी व्यापारियों की इस पहल ने विशेषरूप से राजपूताना में राजनैतिक जागृति उत्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं बीकानेर में इस पहल को सेठ रामगोपाल एवं सेठ शिवरतन मोहता का घराना इस श्रेष्ठ एवं पुनीत कार्य में अग्रणी भूमिका निभाई।[10] इसी विद्या प्रसार को आगे बढ़ाते हुए बीकानेर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वकील बाबू मुक्ता प्रसाद ने निरक्षरों के मध्य शिक्षा का प्रसार करने वाली संस्था की स्थापना की।[11] परन्तु इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य तो देश प्रेम, देश गौरव, प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, वर्तमान काल खण्ड में देश की दुर्दशा को उजागर करना, शासन व राज्य के विभिन्न महकमों के कर्मचारियों के जनता पर अत्याचारों एवं अनाचारों को उजागर करना, सत्याग्रही वीरों का आत्म बलिदान, नारी शौर्य की कीर्ति को फैलाना व समाज के नव युवकों में स्वदेश प्रेम की तेजस्विता के साथ ही बलिदान की भावना को उजागर करना था।[12]

सार संक्षेप

श्री दाऊलाल जी आचार्य ने अपने संस्मरणों में स्वतंत्रता के उस काल खण्ड में देशी राज्यों के अत्याचारों का वर्णन करते हुए लिखा है कि *ऐसे काल के वातावरण में, महाराजा गंगासिंह के कठोर शासन का वर्णन करते हुए कहा जाता था कि 'उनके साँस से घास जलती थी'। तत्समय पीड़ित मानवता का सहायक बनने की हिम्मत कौन कर सकता था? इस राम–राज्य में अपने सुख–दुख की अथवा आम जनता के सुख–दुख की फरियाद करने वाला 'बागी' 'विद्रोही' 'परदेशी' 'राजद्रोही' या 'घमंडी की संज्ञा से विभूषित किया जाकर 'जेल' 'नजरबंदी' 'लाठी' 'गोली' तथा 'लातों' 'घूसों' 'डंडो' का पात्र और राज्य की शान्ति व अमन–चैन को भंग करने वाला देश–निकाले का पात्र माना जाता था।*[13] इन विपरीत स्थितियों में भी बीकानेर में स्वतंत्रता की मशाल

न केवल जलने लगी और अपितु इसकी लपटों ने भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की मशाल में व्यापारियों, किसानों, विद्यार्थियों आदि सभी वर्गों ने अपने अथक प्रयासों की आहुति देकर प्राण प्रण से इस ज्वाला को 1947 में स्वाधीनता प्राप्ति तक निरन्तर प्रज्ज्वलित रखा। ऐसी परिस्थितियों में भी बीकानेर के वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत माता की गरिमा को पुनः जीवित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

---

1 लक्ष्मण सिंह, पॉलिटिकल एण्ड कांस्टीट्यू ानल डवलपमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स, 1926 से 1949, पृ. 32 से 35, पुरोहित महेन्द्र, भारतीय राश्ट्रीय आन्दोलन में राज्यों की भूमिका, आदित्य प्रका ान, संस्करण 2013, पृ. 108

2 भाहादत गवाहरन बयान मिसल कागजात वजह सबूत स्वामी गोपालदास क. 11, दिनांक 24.11.1933 पृ 1644/1–4, राज. राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, पुरोहित महेन्द्र, भारतीय राश्ट्रीय आन्दोलन में राज्यों की भूमिका, तत्रैव, 108

3 कार्यवाही रजिस्टर श्री सर्वहितकारिणी सभा चूरू, स्वतंत्रता सेनानी पं. चन्दनमल बहड़ स्मारक संस्थान, संग्रहालय, चूरू, पुरोहित महेन्द्र, भारतीय राश्ट्रीय आन्दोलन में राज्यों की भूमिका, तत्रैव, 107

4 आचार्य दाऊदयाल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बीकानेर का योगदान, चेतना, प्रथम संस्करण, 1997, पृ. 25

5 राजद्रोहात्मक गतिविधियों में जुलुस निकालना, आम सभा करना, प्रद ानी लगाना, मुद्रित सामग्री जैसे हैण्ड बिल, पैम्फलेट का बिना अनुमति के प्रका ान एवं वितरण प्रतिबंधित था।

6 जर्नल ऑफ राजस्थान इन्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, 1985–86 वॉल्यू. ग्ग्प्प् न. 1, पृ. 17–18 राज. राज्य अभिलेखागार, बीकानेर

7 तरुण राजस्थान (30 नवम्बर, 1924) बीकानेर प्रेस क्लीपिंग फाईल नं 33/1924, राज. राज्य अभिलेखागार, बीकानेर

8 स्वामी गोपाल दास राजपूताना–मध्यभारत सभा, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी राजपूताना एवं राजस्थान सेवा परिशद् आदि संस्थाओं से संबद्ध थे। आचार्य दाऊदयाल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बीकानेर का योगदान, तत्रैव, पृ. 25

9 पुरोहित महेन्द्र, भारतीय राश्ट्रीय आन्दोलन में राज्यों की भूमिका, तत्रैव, पृ. 109

10 पुरोहित महेन्द्र, भारतीय राश्ट्रीय आन्दोलन में राज्यों की भूमिका, तत्रैव, पृ.108, भार्मा, डॉ. गिरिजा ांकर, मारवाड़ी व्यापारी, पृ. 126 से 143

11 महकमा खास, बीकानेर मिसल नं ह्प्, 1926–32 राज. राज्य अभिलेखागार, बीकानेर

12 पुरोहित महेन्द्र, भारतीय राश्ट्रीय आन्दोलन में राज्यों की भूमिका, तत्रैव, पृ. 109

13 आचार्य दाऊदयाल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बीकानेर का योगदान, तत्रैव, पृ. 21

❖◆❖